पत्रांक : 10/व 1–38/2014(छाया) अंश–390

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: वित्त विभाग।

दिनांक– 16/03/2026

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 मदरसा तथा 2459+1 कोटि के मदरसा अन्तर्गत अनुदानित 205 मदरसा एवं 609 मदरसा अर्थात् कुल 814 मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–304 दिनांक 06.01.2026 द्वारा स्वीकृत राशि 2,32,54,00,000/– (दो अरब बत्तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) के अन्तर्गत 22,42,18,000/–(बाईस करोड़ ब्यालीस लाख अठारह हजार रूपये) की विमुक्ति के संबंध में।**

राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसा अर्थात कुल 1128 मदरसा तथा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 2459+1 कोटि के मदरसा अन्तर्गत वित्तसहित 205 एवं 609 अर्थात 814 मदरसों में मानक मंडल के अंतर्गत विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या–237, दिनांक 07.03.2019 एवं विभागीय संकल्प संख्या–230, दिनांक–05.03.2019 द्वारा पुनरीक्षित दर से वेतनानुदान का लाभ प्रदान किया गया है। प्रदेय पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त कर्मियों को मूल वेतन तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई भत्ता/वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 1128 मदरसा एवं 2459+1 कोटि के मदरसा अन्तर्गत अनुदानित 205 मदरसा एवं 609 मदरसा अर्थात् कुल 814 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–304 दिनांक 06.01.2026 द्वारा 2,32,54,00,000/– (दो अरब बत्तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) की स्वीकृति एवं तत्काल 43,92,82,000/–(तैतालीस करोड़ बानवे लाख बेरासी हजार रूपये) की विमुक्ति प्रदान की गई है। पुनः स्वीकृत राशि 2,32,54,00,000/– (दो अरब बत्तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) के अन्तर्गत 1,66,19,00,000/–रू० की विमुक्ति, विभागीय विमुक्ति आदेश संख्या–369 दिनांक 24.02.2026 द्वारा प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि 2,32,54,00,000/– (दो अरब बत्तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) के अन्तर्गत अवशेष राशि 22,42,18,000/–(बाईस करोड़ ब्यालीस लाख अठारह हजार रूपये) है। जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में स्वीकृत राशि 2,32,54,00,000/– (दो अरब बत्तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) के अन्तर्गत अवशेष राशि 22,42,18,000/–(बाईस करोड़ ब्यालीस लाख अठारह हजार रूपये) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि का विकलन, आय–व्यय मॉग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–05–भाषा विकास, लघु शीर्ष–200 अन्य भाषाओं की शिक्षा, उप शीर्ष–0002–गैर सरकारी मदरसा, विपत्र कोड–21–2202052000002 अन्तर्गत विषय शीर्ष–0002–31–04–सहायक अनुदान

वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित बजट 12,27,54,46,000/– (बारह अरब सताईस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार रूपये) से किया जायेगा।

4. विमुक्त किये जाने वाली राशि 22,42,18,000/–(बाईस करोड़ ब्यालीस लाख अठारह हजार रूपये) का आवंटन संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार CFMS के माध्यम से विहित प्रक्रिया के द्वारा संबंधित जिला को दिया जायेगा। CFMS के माध्यम से राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना) द्वारा संबंधित जिलों के कोषागार के माध्यम से की जायेगी। आवंटित राशि का लेखा–जोखा जिला कार्यालय द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा।
5. विभागीय संकल्प संख्या–230 दिनांक 05.03.2019 तथा संकल्प संख्या–237 दिनांक 07.03.2019 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवम् 2459+1 कोटि के मदरसा अन्तर्गत अनुदानित कुल 814 मदरसा में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि मद में भुगतान नियमानुकूल किया जायेगा।
6. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।
7. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा राशि की निकासी एवं भुगतान वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसार किया जायेगा। राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
8. जिला ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा विधिवत संचालित मदरसों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी का वेतन भुगतान किया गया है।
9. जिलों द्वारा 18 माह पूर्व सभी स्वीकृत एवम् आवंटित राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा और संबंधित मदरसा से अंकेक्षित लेखा विवरणी प्राप्त कर यथा ससमय महालेखाकार कार्यालय को भेजा जायेगा।
10. 18 माह पूर्व सभी स्वीकृत एवम् आवंटित राशि के विरूद्ध प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत करा लिया जायेगा।
11. वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 6 (छ) में निहित प्रावधानों के आलोक में निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के पत्रांक 7355, दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
13. भारत सरकार के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक एवं वित्त (अंकेक्षक एवं लेखा) को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत राशि के लेखा–जोखा का अंकेक्षण करेंगे।
14. विमुक्ति आदेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति ई–ऑफिस के नोट–146. पर प्राप्त है।
15. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन ई–ऑफिस के नोट–171 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 10/व1–38/2014(छाया) अंश.................. पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 10/व1–38/2014(छाया) अंश– 390 पटना, दिनांक 16/03/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (यो० एवं लेखा)/सभी कोषागार पदाधिकारी/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–10/बजट शाखा/रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में) प्रशाखा पदाधिकारी–05/वित्त विभाग (बजट शाखा एवं अंकेक्षण एवं लेखा शाखा)/सभी संबंधितों/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.3.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–304 दिनांक 06.01.2026 द्वारा स्वीकृत राशि 2,32,54,00,000/–(दो अरब बत्तीस करोड़ चौवन लाख रूपये) के अन्तर्गत विमुक्त किये जाने वाली राशि 22,42,18,000/– (बाईस करोड़ ब्यालीस लाख अठारह हजार रूपये) का आवंटन निम्नवत् रूप से जिलों को किये जाने वाली विवरणीः–

क्र0सं0	जिला	आवंटित राशि
1	Araria	₹ 2,28,18,000
2	Aurangabad	₹ 29,00,000
3	Banka	₹ 20,00,000
4	Begusarai	₹ 17,00,000
5	Bhagalpur	₹ 1,00,00,000
6	Bhojpur	₹ 27,00,000
7	Darbhanga	₹ 85,00,000
8	East Champaran	₹ 1,00,00,000
9	Gaya	₹ 8,00,000
10	Gopalganj	₹ 4,00,000
11	Katihar	₹ 2,00,00,000
12	Kishanganj	₹ 11,00,00,000
13	Madhepura	₹ 7,00,000
14	Madhubani	₹ 44,00,000
15	Muzaffarpur	₹ 21,00,000
16	Patna	₹ 11,00,000
17	Purnia	₹ 29,00,000
18	Samastipur	₹ 10,00,000
19	Sheohar	₹ 32,00,000
20	Sitamarhi	₹ 22,00,000
21	Supaul	₹ 48,00,000
22	West Champaran	₹ 1,00,00,000
Total		**₹ 22,42,18,000**

16.3.26

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।